तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुकमसिह वगैरा बनाम चनणसिह वगैरा धारा 88,53,188, प्रकरण सख्या 70/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया है कि प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी ने विवादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा बंटवाडा स्थाई निषेघाज्ञा का वाद पेश किया गया तथा उपरोक्त भूमि बाबत अनुतोष चाहा है तथा वादपत्र मे भूमि मे वर्णित खसरान् को भभूतसिह का होने का कथन किया एव उक्त भूमि बाबत पूर्व मे वाद के विचारण होने के अभिकथन किए है तथा घोषणात्मक एव बंटबाडा की डिग्री चाही है जबकि उक्त भूमि बाबत पूर्व मे ही इसी अनुतोष को लेकर वाद चला जो राजीनामा से डिग्री हो गया तथा वाद मे पारित डिग्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे तब्दीली लगभग 50 वर्ष पूर्व ही कर दी गई है ऐसी स्थिति मे धारा 7 नियम 11 सीपीसी के तहत उपरोक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से वादपत्र नांमजूर किया जाने का निवेदन किया गया । अधिवक्ता वादी द्वारा बहस कर निवेदन किया कि सहायक जिलाधीश जोधपुर मे वाद संख्या 40/1967 के निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 177 एव 178 दर्ज नही किए गये तथा वाद के निर्णय की तारीख अकित नही है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया वादी ने अपने वाद पत्र मे घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा बंटवाडा का अनुतोष चाहा है तथा वाद पत्र मे भूमि पूर्व मे भभूतसिह की होने तथा म्यूटेशन संख्या 177 एव 178 द्वारा प्रतिवादीगण के नाम से पूर्व होने का कथन किया गया साथ ही वाद पत्र मे सहायक जिलाधीश जोधपुर मे वाद कार्यवाही होने कथन किया है वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंन्दी एव म्युटेंशन से वर्तमान मे विवादग्रस्त भूमि के कुछ खसरे प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे उक्त अंकन राजस्व न्यायालय के फैसले के परिणाम स्वरूप आये होने का कथन किया ऐसी स्थिति मे न्यायालय के समक्ष आता है कि वर्तमान मे राजस्व रेकर्ड मे अंकन न्यायालय के निर्णय की पालना मे हुए नामान्तरकरण से आये है इसमे प्राथमिक तौर पर पूर्व मे पक्ष कारान् के बीच विवाद होने एव वाद के निर्णय के आधार पर अंकन आया है तथा उस निर्णय के न होने बाबत वादी ने कोई आपत्ति नही की और फैसले का प्रति भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उपलब्ध करवा दी थी ऐसी स्थिति मे धारा 7 नियम 11 सीपीसी के अनुसार कोई भी न्यायालय पूर्व मे वाद के निर्णय हो जाने के वाद नये वाद का विचारण न करने के प्रावधान है। प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सीपीसी धारा 11 के रेस ज्यूडिकाटा का सिद्वांत के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाघक का विचारण नही करेगा जिसमे प्रत्यक्षत और विवाघ विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारो के बीच या ऐसे पक्षकारो के बीच के जिनसे व्युत्पत्र अधिकार के अधीन वे या उनमे मे से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद मे भी ऐसे न्यायालय मे प्रत्यक्षतः—और सारत विवाघ रहा है जो पश्चावर्ती वाद का जिसमे ऐसा विवाधक वाद मे उठाया गया है विचरण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चूका है और अंतिम रूप से विनिक्षित किया जा चूका है ऐसी स्थिति मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत होने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र नांमजूर का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, लूणी	

Scanned by CamScanner